भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1786

29 जुलाई**,** 2026 को उत्तर देने के लिए

अनुसंधान विकास और नवाचार योजना

1786. डॉ. मन्ना लाल रावतः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना का संचालन कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत अब तक आवंटित कुल धनराशि और किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना से देश में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) में निवेश में वृद्धि होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना की निधियों का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है और क्या इस प्रयोजनार्थ कोई विशेष प्रयोजन निधि स्थापित की गई है और यदि हां, तो इसकी संरचना और कार्य तंत्र क्या है;

(ङ) क्या इस योजना में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी गई है; और

(च) क्या पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान, नवाचार अथवा अनुसंधान और विकास अध्येतावृत्तियों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) सरकार ने ₹1 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ छह वर्षों की अवधि के लिए अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (आरडीआई) योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास तथा व्यावसायीकरण को समर्थन देकर भारत के नवाचार पारितंत्र को मजबूत करना है। यह योजना वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) तथा विशेष अनुसंधान संगठनों (एफआरओ) जैसे द्वितीय स्तरीय कोष प्रबंधकों (एसएलएफएम) के माध्यम से पात्र प्रौद्योगिकी संस्थाओं को दीर्घकालिक और कम लागत वाली वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। यह योजना टीआरएल 4 और उससे ऊपर के स्तर की परियोजनाओं को ऋण और इक्विटी आधारित वित्तीय साधनों के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य अनुसंधान-आधारित और गहन प्रौद्योगिकी (डीपटेक) नवाचारों के लिए उपलब्ध वित्तीय कमी को दूर करना है।

(ख) अब तक प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी), प्रत्येक को 1000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है, जिसकी

कुल राशि 2,000 करोड़ रुपये है। उक्त राशि में से मार्च, 2026 के दौरान टीडीबी को 500 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

योजना के अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने 4,744 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत वाली 22 परियोजनाओं को अनुमोदित किया है, जिनके लिए अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (आरडीआई) कोष से 2,192 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की गई है। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) ने आरडीआई योजना के अंतर्गत ₹390.35 करोड़ की कुल परियोजना लागत वाली 8 परियोजनाओं को सहायता प्रदान किए जाने हेतु सूचीबद्ध किया है। वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) तथा शेष केंद्रित अनुसंधान संगठनों (एफआरओ) से प्राप्त प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के विचाराधीन हैं।

(ग) यह योजना स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास एवं व्यावसायीकरण के लिए दीर्घकालिक तथा कम लागत वाले वित्तपोषण की व्यवस्था प्रदान करके अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। यह योजना विशेषकर सामरिक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान-आधारित तथा गहन-प्रौद्योगिकी नवाचारों को सहायता प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से वित्तपोषण अंतराल को दूर करके राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास पारितंत्र में निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है।

(घ) इस योजना का संचालन अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) के अंतर्गत स्थापित विशेष प्रयोजन निधि (एसपीएफ) के माध्यम से किया जा रहा है। एसपीएफ योजना की कोष-राशि का प्रबंधन करती है तथा द्विस्तरीय वित्तपोषण व्यवस्था के माध्यम से द्वितीय-स्तरीय निधि प्रबंधकों (एसएलएफएम) को निधियां उपलब्ध कराती है। अनुमोदित रूपरेखा के अनुसार, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) को एसएलएफएम के रूप में नामित किया गया है। फंड ऑफ फंड्स सहित अतिरिक्त एसएलएफएम से आवेदन भी आमंत्रित किए गए हैं, जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ङ) यद्यपि यह योजना सामरिक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान करती है, तथापि यह राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों को भी सहायता प्रदान करती है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण एवं जलवायु कार्रवाई; क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स तथा अंतरिक्ष जैसी गहन प्रौद्योगिकियां; कृषि, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा उसके अनुप्रयोग; जैव प्रौद्योगिकी, जैव-विनिर्माण, संश्लेषित जीवविज्ञान, औषधि एवं चिकित्सा उपकरण; तथा डिजिटल कृषि सहित डिजिटल अर्थव्यवस्था शामिल हैं। यह योजना उन प्रौद्योगिकियों को भी प्रदान करती है जिनका स्वदेशीकरण सामरिक अथवा आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है तथा जिन्हें जनहित में आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य क्षेत्र या प्रौद्योगिकी के रूप में चिन्हित किया गया है।

(च) यह योजना द्वितीय-स्तरीय निधि प्रबंधकों (एसएलएफएम) के माध्यम से पात्र प्रौद्योगिकी संस्थाओं को परियोजना-आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि परियोजना से संबंधित खर्चों को पूरा किया जा सके, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर मानव संसाधन से जुड़े खर्च भी शामिल हैं। इसीलिए, इस योजना के अंतर्गत इस प्रकार की अध्यतावृतियों का राज्य-वार विवरण उपलब्ध नहीं है।
